रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012021-224759
CG-DL-E-28012021-224759

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/माघ 8, 1942
No. 37] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार और उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2021

मामला सं. (ओआई) 24/2019

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन**" के आयातों के संबंधित पाटनरोधी जांच ।**

फा. सं. 6/32/2019-डीजीटीआर.—1. यह समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा उसकी समय-समय यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 को ध्यान में रखते हुए :

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. मैसर्स प्राइमा केमिकल्स (जिसे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिन्हें यहां "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित **"**1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन**"** (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "पाइराजोलोन" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की मूल जांच के लिए समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क

अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है।

3. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि जिसे यदि लगाया जाता है और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की राशि की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 23 दिसंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या 6/32/2019-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की ।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

4. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरूआत करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 23 दिसंबर, 2019 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार जांच की शुरूआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।

घ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा दूतावास को आवेदन पत्र के अगोपनीय रुपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।

ङ. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दें। संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति भी भेजी गई थी।

च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजीं :

i. मै० गोल्डलिंक इंडस्ट्रीज कं० लि०

ii. मै० जियांग्सु चांग्यू केमिकल कं० लि०

iii. मै० किंगदाओ बांग्ली फाइन केमिकल कं० लि०

iv. मै० किंगदाओ डबल-पीच स्पेशियलिटी केमिकल्स ग्रुप कं० लि०

v. मै० वेन्झाऊ मियरनुओ केमिकल कं० लि०

vi मै० जिनान जियांगरूई केमिकल कं० लि०

vii. मै० शानडांग जिन्हुआ फर्मास्यूटिकल कं० लि०

viii. मै० शाउगुआंग नुओमेंग केमिकल कं० लि०

छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी:

i. मै० एपेक्स डाइज एंड इंटरमीडिएट्स, अहमदाबाद

ii. मै० एसोसिएटेड ड्रग कं०, बंगलौर

iii. मै० पिडलाइट इंडस्ट्रीज लि०, मुंबई

iv. मै० एशियाटिक कलर्स केम इंडस्ट्रीज लि०, अहमदाबाद

v. मै० अंकुर डाइजटफ इंडस्ट्रीज, अहमदाबाद

vi मै० जॉनसंस इंटरनेशनल, मुंबई

vii. मै० के. रसिक लाल एंड कं०, मुंबई

viii. मै० नीलकंठ केमिकल्स, सूरत

ज. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादक/निर्यातक/आयातक/उपभोक्ता ने प्रश्नावली के उत्तर या अन्य टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की हैं।

झ. प्राधिकारी ने अनुरोध पर निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर (ईक्यूआर) 19.02.2020 तक दायर करने का समय दिया जिसे डीजीटीआर की वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक पटल पर रख दिया गया था।

ञ. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में प्रस्तुत साक्ष्य किए गए/अनुरोधों का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया।

ट. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों तथा जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देन वार ब्यौरे उपलब्ध कराएं जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा का परिकलन करने और लेन-देनों की उचित जांच करने के बाद उसके विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

ठ. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

ड. इस मामले में प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 13 अप्रैल, 2020 की प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/32/2019– डीजीटीआर द्वारा जारी किए गए थे और उसे अधिसूचना संख्या 13/2020-सीमा शुल्क (ए डी डी) नई दिल्ली, दिनांक 9 जून, 2020 द्वारा राजपत्रित किया गया था।

ढ. वर्तमान पाटनरोधी जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2018 – 30 जून, 2019 (15 माह) है। तथापि, क्षति जांच अवधि अप्रैल, 2015 – मार्च, 2016, अप्रैल, 2016 – मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 – मार्च, 2018 तथा जांच की अवधि मानी गई है।

ण. अपने ओम दिनांक 21.12.2020, राजस्व विभाग ने जांच को 22.12.2020 (जांच पूरी करने की अंतिम तिथि) से 3 महीने के बाद से पूरा करने की समयावधि बढ़ा दी।

त. प्राधिकरण ने विशेष रूप से चल रही महामारी को देखते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का तालिका सत्यापन किया, जो आवश्यक और व्यवहार्य माना जाता है ।

थ. नियमों के नियम 6 (6) के अनुसार, प्राधिकरण ने सभी इच्छुक पक्षों को 13-11.2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, जिसमें इच्छुक पक्षों को मौखिक रूप से सुनने के लिए, जिसमें केवल घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । घरेलू उद्योग को अपनी लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करने के लिए कहा गया था और इसे 14.11.2020 को दायर किया गया था। प्राप्त लिखित प्रस्तुतियों को इस अंतिम निष्कर्षों में इस हद तक विचार किया गया है कि वे प्रासंगिक हैं और साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं ।

द. नियमों के नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्यों का खुलासा 2 दिसंबर २०२० के प्रकटीकरण वक्तव्य के माध्यम से ज्ञात इच्छुक पक्षों को किया गया था और प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक माने जाने वाले टिप्पणियों को इस अंतिम निष्कर्षों में संबोधित किया गया है।

ध. आवेदक ने गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 2020 का एक विशेष दीवानी आवेदन संख्या 15866 दायर किया, जिसमें माननीय न्यायालय ने आवेदक को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मौखिक सुनवाई में भाग लेने का निर्देश दिया। आवेदक ने इस पर भाग लिया और उसके बाद 14.12.2020 को अपनी प्रस्तुतियां दी।

न. इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा नामित प्राधिकारी के समक्ष प्रकटीकरण के बाद मौखिक सुनवाई का अनुरोध किया गया था और इसे 18 जनवरी, 2021 को आयोजित किया गया था।

ऩ. इस जांच के दौरान इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों में प्रकटीकरण के बाद की टिप्पणियां और प्रकटीकरण मौखिक सुनवाई के बाद की टिप्पणियों, साक्ष्यों के साथ समर्थित और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक मानी जाने वाली टिप्पणियों को इस अंतिम निष्कर्षों में प्राधिकरण द्वारा उचित रूप से विचार और संबोधित किया गया है ।

प. इस अंतिम निष्कर्षों में *** गोपनीय आधार पर इच्छुक पक्षों द्वारा दी गई जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए नियमों के तहत प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाता है।

फ. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 70.73 रुपए है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

5. जांच के शुरूआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया थाः

"क) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन हैं और उसे पाइराजोलोन भी कहा गया है।

ख) संबद्ध सामानों का प्रयोग डाइ मध्यवर्ती के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग एनालजिन के उत्पादन के लिए फार्मास्युटिकल्स में भी किया जाता है।

ग) संबद्ध सामान उप-शीर्ष 2933 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह इस जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

<u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क) वर्तमान आवेदन पत्र में विचाराधीन उत्पाद 1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन है और उसे सामान्यतः पाइराजोलोन के रूप में भी उल्लिखित किया गया है। पाइराजोलोन का प्रयोग डाइ मध्यवर्ती के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग एनालजिन के उत्पादन के लिए फार्मास्युटिकल उद्योग में भी किया जाता है।

ख) पाइराजोलोन के उत्पादन के लिए एनीलिन को कम तापमान पर हाइड्रो क्लोरिक एसिड और सोडियम नाइट्राइट के साथ डायटाइज किया जाता है। उसके बाद उसे बाइसल्फाइट और सल्फाइट मिश्रण में फिनाइल हाइड्राजिन में कम किया जाता है। इसे सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोलाइज किया जाता है और परिणामी फिनाइल हाइड्राजिन सल्फेट को छाना तथा अपकेंद्रित किया जाता है। फिनाइल हाइड्राजिन को पानी में मिलाया जाता है और एसिटो एसिटिक मिथाइल ईस्टर में संघनित किया जाता है। पाइराजोलोन को छाना, सुखाया और मसला जाता है। पाइराजोलोन का विनिर्माण 99.5 प्रतिशत शुद्धता के साथ तकनीकी ग्रेड के रूप में किया जाता है। पाइराजोलोन का रासायनिक सूत्र $C_{10}H_{10}N_2O$ है।

ग) विचाराधीन उत्पाद का आयात सीमा शुल्क उप-शीर्ष 2933 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

घ) आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई अंतर नहीं है।

<u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

7. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

8. विचाराधीन उत्पाद से संबंधित मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है तथा हल किया गया है।

9. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) एक रसायन 1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन है जिसका प्रयोग डाइ मध्यवर्ती के रूप में और एनालजिन के उत्पादन के लिए फार्मास्युटिकल उद्योग में किया जाता है।

10. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। यहां तक कि यद्यपि संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए शामिल भिन्न विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकियां हैं, तथापि, अंतिम उत्पाद में तुलनीय विशिष्टियां हैं तथा परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयुक्त किया जाता है। यह भी नोट किया जाता है कि आयातित और घरेलू रूप से बेचे जाने वाले उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं।

11. विचाराधीन उत्पाद उप-शीर्ष 2933 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

12. प्राधिकारी यह पुष्टि करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश से आयातित वस्तु के समान वस्तु है। जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणाम में माना गया था।

घ. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र और स्थिति</u>

<u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

13. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं स्थिति के संबंध में जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क) आवेदक मैसर्स प्राइमा केमिकल्स भारत में संबद्ध सामानों का उत्पादक है। संबद्ध सामानों का एक दूसरा उत्पादक अर्थात मैसर्स नूतन केमिकल्स भी इस आवेदन पत्र का समर्थन कर रहा है।

ख) अन्य भारतीय उत्पादक यथा मैसर्स वाणी केमिकल्स और मैसर्स यूनिकेम अब क्रमशः लगभग 8-10 वर्ष और 5 वर्ष से बंद हो गए हैं।

ग) आवेदक ने चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देश से किसी निर्यातक से संबंधित नहीं है।

घ) आवेदक का समर्थक सहित विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख उत्पाद है। विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक का हिस्सा जांच की अवधि के दौरान लगभग 80 प्रतिशत है। समर्थक सहित आवेदक का विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा है। तद्नुसार, आवेदक आधार की अपेक्षा को स्पष्ट रूप से पूरा करता है और इस प्रकार पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के अनुसार संबंधित उत्पाद के लिए भारत में "घरेलू उद्योग" है।

<u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

14. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

15. नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

16. यह नोट किया जाता है कि यह आवेदन पत्र मैसर्स प्राइमा केमिकल्स द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने सूचित किया है कि वर्तमान में भारत में विचाराधीन उत्पाद का केवल एक दूसरा उत्पादक है जो भी इस आवेदन पत्र का समर्थन कर रहा है। भारत में विचाराधीन उत्पाद के अन्य उत्पादक अर्थात मैसर्स वाणी केमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स यूनिकेम लिमिटेड अब बंद हो गए हैं और उत्पादन में नहीं हैं।

17. जांच की अवधि में अकेले आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत है और उसका प्रमुख हिस्सा बनता है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देश के किसी निर्यातक से संबद्ध नहीं है।

18. तद्नुसार, प्राधिकारी यह पुष्टि करने का प्रस्ताव करते हैं कि आवेदक आधार की अपेक्षा को पूरा करता है तथा नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग है। जैसा प्रारंभिक जांच परिणाम में माना गया था।

ड. <u>बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

<u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

19. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क) चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और संबद्ध देशों के मामले में सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 एवं 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए । नियमावली के अनुबंध-1 में पैरा 8 के अनुसार यह माना जाता है कि चीन में संबद्ध सामानों के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की शर्तों के तहत प्रचालन कर रहे हैं । अत: चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार आकलित किया गया है ।

ख) उपर्युक्त के मद्देनजर, संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों में विधिवत समायोजित घरेलू उद्योग की लागत के आधार पर भारत में उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है। यह सिद्धांत चीन जन. गण. के विरुद्ध पूर्व की जांचों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा माना गया है।

ग) संबद्ध देश से निर्यात कीमत डीजीसीआईएंडएस से लिए गए लेन-देन वार आयात आंकड़ों के अनुसार जांच की प्रस्तावित अवधि के लिए आयातों की मात्रा एवं मूल्य पर विचार करते हुए निर्धारित की गई है। भाड़ा, बीमा, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं।

घ) ऊपर की गई चर्चा के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्धारित कीमत पर विचार करके पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है जिसके ब्यौरे रिकार्ड में याचिका से देखे जा सकते हैं। संबद्ध देश से पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तरों से ऊपर हैं तथा काफी हैं।

<u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

20. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उत्तर नहीं दिया है और बाजार अर्थव्यवस्था दावों, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

21. डब्ल्यूटीओ में चाइनीज एसेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैः "जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगेः

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप-पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

22. यह नोट किया जाता है कि 11.12.2016 से अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान यद्यपि समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के तहत दायित्वों के साथ पठित डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान बाजार अर्थव्यवस्था स्तर का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किए जाने के लिए भारत की नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की अपेक्षा है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि न तो किसी उत्तरदाता उत्पादक ने और चीन जन.गण. के निर्यातक ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है अत: सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

23. तद्नुसार, संबद्ध देश के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई है ।

सामान्य मूल्य

24. जांच की शुरूआत के स्तर पर प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के तहत विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद प्रथमदृष्टया निष्कर्ष निकाला था कि इस मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए निर्मित सामान्य मूल्य को छोड़कर अन्य विकल्प व्यवहार्य नहीं हैं क्योंकि पूरे निर्यात चीन से हैं । जांच की शुरूआत पर प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी कि वे जांच की शुरूआत की सूचना का उत्तर दें और निर्धारण से संगत सूचना दें कि क्या उनके आंकड़ों/सूचना को सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन के लिए

अपनाया जा सकता है । प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं । परंतु किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्धारित प्रश्नावली के उत्तर दायर कर इस जांच में सहयोग नहीं किया है । इस स्थिति के मद्देनजर और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था अवधारणा के खंडन के अभाव में चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार कार्यवाही करना उपयुक्त माना जा सकता है । अत: प्राधिकारी ने उपयुक्त लाभ के साथ बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों के साथ विधिवत समायोजित घरेलू उद्योग की लागत के आधार पर भारत में उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए सी एन वी पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है । जैसा प्रारंभिक जांच परिणाम में माना गया है।

निर्यात कीमत

25. जैसा प्रारंभिक जांच परिणाम में माना गया है कि प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के किसी भी निर्यातक/ उत्पादक ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। संबद्ध देश से उत्पादकों/निर्यातकों से निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के अभाव में संबद्ध देश के संबंध में नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। भाड़ा, बीमा, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

26. ऊपर दिए गए अनुसार निर्मित सामान्य मूल्य और निर्धारित निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नलिखित है:

पाटन मार्जिन	रू./कि.ग्रा.	यू एस डॉलर/कि.ग्रा.
परिकलित सामान्य मूल्य	***	***
निवल निर्यात कीमत	***	***
पाटन मार्जिन	***	***
पाटन मार्जिन %	***	***
पाटन मार्जिन % रेंज	10-20%	

च. <u>क्षति की संभावना और कारणात्मक संबंध के निर्धारण की पद्धति</u>

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

27. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. संबद्ध सामानों के लिए मांग क्षति की अवधि में काफी बढ़ी है जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आ रही है और आयातों का हिस्सा मांग की अपेक्षा बढ़ रहा है।

ख. संबद्ध देश से आयात जांच की अवधि, शुल्क बंद होने के बाद काफी बढ़े हुए देखे गए हैं। आयातों में वृद्धि काफी एवं वास्तविक है। संबद्ध सामानों के उत्पादन के संबंध में आयातों का बाजार हिस्सा क्षति की अवधि में बढ़ा है।

ग. संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को कटौती हो रही है और वह भी काफी सकारात्मक है।

घ. उत्पादन लागत और बिक्री कीमत की तुलना यह दर्शाती है कि उत्पादन लागत में क्षति की अवधि में निरंतर वृद्धि देखी गई है। यद्यपि, बिक्री कीमत में वृद्धि 2017-18 तक अनुरूप थी। तथापि, जांच की अवधि में बिक्री कीमत लागत से कम है। पहुँच कीमत बिक्री कीमत और उत्पादन लागत से कम है। अतः आयातों के कारण कीमत न्यूनीकरण/ह्रास है।

ङ. बढ़ती हुई मांग को देखते हुए घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति की अवधि में बढ़ी है। तद्नुसार, उत्पादन तथा घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई। तथापि, क्षमता एवं मांग में वृद्धि की तुलना में घरेलू उद्योग अपना क्षमता उपयोग बढ़ाने में सक्षम नहीं था।

च. पाटनरोधी शुल्क बंद होने के बाद घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि में निरंतर गिरावट आई है और संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा काफी बढ़ा है। संबद्ध आयातों की मांग में बाजार हिस्से में आधार वर्ष में और उसके तुरंत बाद शुल्क लगाए जाने के कारण गिरावट आई थी क्योंकि उनके बंद होने से संबद्ध आयातों ने बाजार हिस्सा पुनः ले लिया था।

छ. घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ 2017-18 तक बढ़ा, परंतु काफी गिरावट आई जिससे जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां हुईं। निवेश पर आय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ज. घरेलू उद्योग में मालसूची बढ़ी है।

झ. क्षमता में वृद्धि पर विचार करते हुए कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ी। तथापि, जांच की अवधि (पीओआई) में मजदूरी में गिरावट आई है।

ञ. घरेलू उद्योग के निष्पादन में पाटनरोधी शुल्क बंद होने के बाद गिरावट आई। पाटनरोधी शुल्क बंद होने से चीनी आयातों की मात्रा में भी काफी वृद्धि हुई है जो चीनी निर्यातों की पाटन और खतरे की प्रकृति दर्शाती है जिसके तहत घरेलू उद्योग आया है। शुल्क लगाए जाने के बाद सकारात्मक वृद्धि पर विचार करते हुए और शुल्क बंद होने के बाद नकारात्मक वृद्धि को देखते हुए घरेलू उद्योग को क्षति होने के अलावा खतरा भी है।

ट. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के अनुसार परिकलित पाटन मार्जिन काफी है।

ठ. यदि संबद्ध देश से आयात और बढ़ते हैं तो घरेलू उद्योग संबंधित उत्पाद की कीमतें काफी कम करने के लिए मजबूर होगा।

ड. चीन से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क मौजूद है। आयातों से जांच की अवधि में कीमत कटौती हो रही है तथा कम कीमत पर बिक्री हो रही है और आयातों की मात्रा भी काफी बढ़ी है।

ढ. घरेलू उद्योग को वास्तविक एवं खतरे की क्षति केवल पाटित आयातों से ही हुई है और इस प्रकार कारणात्मक संपर्क स्थापित करती है। आवेदक को इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि प्राधिकारी क्षति का मूल्यांकन करते समय आवेदक द्वारा किए गए आयातों को अलग करें।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

28. चूंकि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उत्तर नहीं दिया है, अतः इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

29. क्षति मूल्यांकन और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच नियमावली के अनुसार विभिन्न मानदंडों के आलोक में की गई है।

30. अनुबंध-।। के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ".. पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाते वाले कारकों की जांच शामिल होगी। पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते हुए, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास होता अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो

जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, माल भंडार, लाभप्रदत्ता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन का आकार और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-।। के अनुसार किया गया है।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

(क) मांग/स्पष्ट खपत का आंकलन

31. प्राधिकारी ने सभी स्रोतों से आयातों और भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री के योग के रूप में भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत के संबंध में वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचार किया है। इस प्रकार से आकलित मांग क्षति जांच अवधि और जांच की अवधि के दौरान निरंतर बढ़ी है।

मांग	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई	पीओआई (क)
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	124	143	114
अन्य भारतीय उद्योग की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	95	98	78
संबद्ध देश – आयात	एमटी	216	178	262	1,102	881
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	121	510	407
अन्य देश – आयात	एमटी	-	-	-	-	-
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-	-
कुल मांग/खपत	एमटी	1,536	1,535	1,796	2,825	2258
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	117	184	147

32. जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि संबद्ध देश से पाटित आयात पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान काफी बढ़े हैं। आवेदक जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से आने वाले पाटित आयातों की काफी मात्रा के कारण मांग में वृद्धि के अनुरूप संबंधित उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है। उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि 2015-16 से जांच की अवधि तक आवेदक की घरेलू बिक्री से अधिक है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद की आयात मात्रा आधार वर्ष में 216 मी. टन से बढ़कर पी ओ आई (ए) में 881 मी. टन हो गई है। मांग में अधिकतर वृद्धि संबद्ध देश से जांच की अवधि में आयातों ने ले ली है।

(ख) संबद्ध देश से आयात मात्राएं

33. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, यह नोट किया जाए कि भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में अथवा पूर्ण दृष्टि से संबद्ध देश से आयातों में काफी वृद्धि हुई है।

देश	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई	पीओआई (क)
चीन जन. गण.	216	178	262	1,102	881
कुल आयात का %	100%	100%	100%	100%	100%

34. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयात, जो 2015-16 में 216 मी. टन थे, जो बढ़कर पी ओ आई (ए) में पूर्ण दृष्टि से 881 मी. टन हो गए।

(ग) सापेक्ष रूप में संबद्ध देश के आयात

35. यह नोट किया जाता है कि उत्पादन तथा मांग के संबंध में विचाराधीन उत्पाद के आयात संबद्ध देश से आधार वर्ष और जांच की अवधि से पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बढ़े हैं।

निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देश के आयात	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	90	376
मांग	%	14%	12%	14%	39%

(घ) मांग में बाजार हिस्सा

36. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है। आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि के बावजूद जांच की अवधि में बाजार हिस्सा खोया है।

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
मांग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	107	78
अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	82	53
संबद्ध देश – आयात	%	14.17	12.44	14.49	39.33
अन्य देश – आयात	%	0	0	0	0
कुल	%	100	100	100	100

<u>घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव</u>

37. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत से तुलना किये जाने पर आरोपित पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती की गई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में कीमतों पर दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जायेगी जो सामान्य अवधि में हुई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत न्यूनीकरण, कीमत ह्रास, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) और क्षति रहित कीमत (एन आई पी) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

(क) कीमत कटौती

38. कीमत कटौती विश्लेषण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुँच मूल्य से की गई है। तद्नुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों के कीमत कटौती प्रभाव निम्नलिखित बनते हैं।

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
पहुंच मूल्य	रू. /कि.ग्रा.	283	265	334	343
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	118	121
बिक्री कीमत	रू. /कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	119	120
कीमत कटौती	रू. /कि.ग्रा.	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	345	155	100
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	0-10	10-20	0-10	0-10

39. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देश से आयात आवेदक की घरेलू बिक्री कीमत से काफी कम कीमतों पर आ रहे हैं। इस प्रकार, जांच की अवधि के दौरान कीमत कटौती संबद्ध देश के लिए सकारात्मक है।

(ख) कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

40. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण हो रहा है अथवा क्या इन आयातों के प्रभाव से कीमतों पर बहुत अधिक मात्रा में दबाव पड़ रहा है अथवा कीमत में वृद्धि रूक रही है जो सामान्य अवधि में अन्यथा हुई होती, क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की निम्नलिखित रूप में तुलना की गई।

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
बिक्रियों की लागत	रू. /कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	116	127
बिक्री कीमत	रू. /कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	120	121
पहुंच कीमत	रू. /कि.ग्रा.	283	265	334	343
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	118	121

41. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणाम में माना गया है कि संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमतों पर आ रहे थे। इससे घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर हुआ और ऐसी स्थिति में आ गया जहां घरेलू उद्योग अंततः जांच की अवधि के दौरान अपनी बिक्री लागत से कम पर बिक्री करने के लिए मजबूर हो गया है। यह देखा जा सकता है कि बिक्री लागत पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 31 रूपए/कि.ग्रा. तक बढ़ी है जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 3 रूपए/कि.ग्रा. तक बढ़ी है । बिक्री लागत में वृद्धि पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध सामानों की बिक्री कीमत में वृद्धि से अधिक है जिससे कीमत न्यूनीकरण हुआ है।

<u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड</u>

42. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इस प्रकार के उत्पादों का घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिसका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, माल भंडार, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।

43. प्राधिकारी ने विभिन्न तथ्यों और किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों वस्तुपरक रूप से जांच की है।

(क) उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग

44. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई	पीओआई (क)
क्षमता	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	133	144	180	144
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	136	138	110
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	94	77	77
घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	124	143	114

45. आवेदक के उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि (क) में गिरावट आई है । यह संबद्ध देश से आने वाले पाटित आयातों की काफी मात्रा के कारण प्रतीत होता है, जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणाम में माना गया था।

(ख) लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

46. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई	पीओआई (क)
बिक्रियों की लागत	रू. /कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	116	127	127
बिक्री कीमत	रू. /कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	120	121	121
प्रति इकाई लाभ/(हानि)	रू. /कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	150	400	-300	-300
कुल लाभ/ (हानि)	रू./लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	180	533	-472	-378
नकद लाभ	रू./लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	156	384	-140	-112
ब्याज और कर पूर्व लाभ	रू./लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	247	26	20
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	% सूचीबद्ध	100	75	111	12	9

47. उपर्युक्त तालिका से प्राधिकारी नोट करते हैं कि :

क) विचाराधीन उत्पाद की मांग में निरंतर वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग को निम्नलिखित कारणों की वजह से घाटा उठाना पड़ा :

i. यद्यपि आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई में लागत में 27 बिंदु की वृद्धि हुई तथापि, घरेलू उद्योग आयातों की पाटित कीमतों के कारण उसी अवधि में बिक्री कीमत को केवल 21 बिंदु तक बढ़ा पाया।

ii. बिक्री मात्रा में 2017-18 की तुलना में पी ओ आई (क) में 10 बिंदु तक गिरावट आई है। जबकि पाटित आयातों के कारण उसी अवधि में मांग में 30 बिंदु तक वृद्धि हुई है।

ख) इसी प्रकार, घरेलू उद्योग का नकद लाभ 2017-18 में 384 सूचकांक से घटकर जांच की अवधि के दौरान (–) 112 सूचकांक तक हो गया है।

ग) जांच की अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर आय 2017-18 में 111 सूचकांक से अत्यधिक घटकर जांच की अवधि (क) में 9 सूचकांक तक रह गई है।

(ग) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

48. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	129	129
मजदूरी	रू./लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	118	127
प्रति इकाई मजदूरी	रू./कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का रोजगार क्षमता में वृद्धि पर विचार करते हुए पूरी क्षति जांच अवधि और जांच की अवधि के दौरान बढ़ा है।

(घ) मालसूची

50. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग में मालसूची की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	304	496

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग में मालसूची 2015-16 में 100 सूचकांक की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 496 सूचकांक तक बढ़ी है। बढ़ते हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कम हो गया है और पाटित आयातों द्वारा बढ़ी हुई मांग काफी मात्रा में ले ली गई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग में काफी संक्षिप्त मालसूची है।

(ड.) वृद्धि

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान मांग में बाजार हिस्से और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि में गिरावट आई है।

(छ) <u>घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक</u>

53. संबद्ध देश से आयात की कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, आदि की जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और उत्पादन लागत से कम है, जो भारतीय बाजार में काफी कीमत कटौती तथा कीमत न्यूनीकरण एवं ह्रास कर रही हैं। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों के लिए मांग जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक

वृद्धि दर्शा रही थीं और इसीलिए यह घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं हो सकता है। इस प्रकार प्राधिकारी यह प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयात हैं। जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणाम में भी निर्धारित किया गया है।

क्षति एवं क्षति मार्जिन की मात्रा

54. जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणाम में निर्धारित किया गया है कि प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित डेस्क अध्ययन सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। घरेलू उद्योग की क्षतिरहित निकाली गई है और इसकी तुलना क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत के साथ की गई है।

देश	एनआईपी	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	प्रवृत्ति
	(यूएस डॉलर/कि.ग्रा.)	(यूएस डॉलर/कि.ग्रा.)	(यूएस डॉलर/कि.ग्रा.)	(%)	(रेंज)
चीन जन. गण.	***	4.85	***	***	0-10

छ. <u>गैर आरोपण विश्लेषण</u>

55. नियमावली के अनुसार, अन्य बातों के साथ साथ यह जांच करना अपेक्षित है कि पाटित आयातों को छोड़कर कोई अन्य ज्ञात कारक हैं जो साथ ही घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति का आरोप पाटित आयातों पर नहीं लगाया जा सके। वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, उनमें अन्य बातों के साथ साथ पाटित कीमतों पर न बेची गई आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। नीचे यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान हो सकता है।

तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

56. संबद्ध देश को छोड़कर अन्य देशों से आयात मौजूद नहीं है और इसीलिए उनसे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है अथवा खतरा नहीं हो रहा है।

निर्यात निष्पादन

57. प्राधिकारी ने अपने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है।

प्रौद्योगिकी का विकास

58. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने भाग नहीं लिया है और प्रौद्योगिकी में काफी परिवर्तन जिससे घरेलू उद्योग क्षति हो सकती है, दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

कंपनी के अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन

59. यह नोट किया जाए कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण प्रतीत नहीं होता और उन्होंने विचाराधीन उत्पाद के लिए सूचना पर भी विचार किया है।

व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

60. संबद्ध सामानों का आयात किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं है और उनका देश में स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है। भाग न लेने के कारण यह बताने के लिए किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों में कोई परिवर्तन हुआ है।

मांग में संकुचन और खपत परिवर्ती में परिवर्तन

61. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों की मांग में पूरी क्षति अवधि में निरंतर वृद्धि हुई है। इस प्रकार, प्राधिकरण मानता है कि घरेलू उद्योग को लगी चोट मांग में संकुचन के कारण नहीं थी, जैसा कि प्रारंभिक निष्कर्षों में भी आयोजित किया गया था ।

ज. <u>प्रकटन के पश्चात की टिप्पणियां</u>

62. गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) निर्धारित अनावश्यक रूप से कम है ।

63. विनिर्माण व्यय, अन्य आय और रिटर्न के कारण निर्धारित राशि पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

64. गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) निर्धारित करने के लिए निर्यात से संबंधित घरेलू उद्योग की आय पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

65. विनिर्माण खर्चों को विभाजित करने और उत्पादन मूल्य के आधार पर निवेश पर वापसी के लिए उपयुक्त नहीं है, यह देखते हुए कि कंपनी ने विभिन्न उत्पादों का उत्पादन और बिक्री की है, जो काफी अलग उत्पादन चक्रों के साथ हैं । घरेलू उद्योग ने दावा किए गए उत्पादन लागत को न्यायोचित ठहराने के लिए व्यय के आवंटन और बंटवारे के संबंध में और अधिक जानकारी प्रदान की है और प्राधिकरण से इस पर विचार करने का अनुरोध किया है ।

<u>घरेलू उद्योग विनिर्माण व्यय द्वारा प्रकटीकरण मौखिक सुनवाई टिप्पणियों के बाद</u>

66. घरेलू उद्योग ने उत्पादन की मात्रा को केवल इस कारण से विनिर्माण व्यय के विभाजन के आधार के रूप में अपनाया कि प्राधिकरण ने पिछली जांचों में इस आधार को अपनाया था ।

67. किसी भी मामले में उत्पादन मूल्य इस कारण से विनिर्माण खर्चों के विभाजन के लिए एक उपयुक्त आधार नहीं है कि विभिन्न उत्पादों का उत्पादन चक्र समय काफी भिन्न है।

68. डीआई ने कहा कि प्राधिकरण कृपया उत्पादन चक्र समय को विनिर्माण व्यय के बंटवारे के लिए उपयुक्त आधार के रूप में विचार कर सकता है ।

69. महत्वपूर्ण आय निर्यात से संबंधित है और चूंकि यह निर्यात आय है, इसलिए नप का निर्धारण करने के लिए उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि नप केवल घरेलू उत्पादन के लिए होनी चाहिए । घरेलू उद्योग अनजाने में यह "अंय आय" के रूप में पूरी आय की सूचना दी है ।

70. आयात मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई है और आयात मूल्य में यह गिरावट लागत में गिरावट से अधिक है। पीओआई के दौरान डंपिंग और इंजरी तेज हो गई है। डीआई ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह महीनेवार नप और इंजरी मार्जिन का निर्धारण करे ।

71. घरेलू उद्योग की गणना भी प्रस्तुत की है कि डेटा और उतरा मूल्य से संबंधित गणना के लिए मिलान की जरूरत है।

<u>प्राधिकरण द्वारा परीक्षा</u>

72. प्राधिकरण ने **02.12.2020** को प्रकटीकरण विवरण जारी किया। याचिकाकर्ता ने प्रकटीकरण वक्तव्य पर अपनी टिप्पणियों में मुख्य रूप से प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में बदलाव पर ध्यान केन्द्रित किया है, जबकि गैर-हानिकारक मूल्य (एनईपी) की गणना दीक्षा और प्रारंभिक निष्कर्षों के चरण से प्रकटीकरण वक्तव्य में अपनाए गए एक के चरण से की है । साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष दीवानी आवेदन दायर किया गया था जिसमें गैर-हानिकारक मूल्य (नप) का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई पूर्ण कार्यप्रणाली का प्रकटीकरण न करने और प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणी दाखिल करने के लिए समय की कमी से संबंधित मुद्दे उठाए गए थे । इसी को ध्यान में रखते हुए, गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित करने के लिए अपनाई गई पूरी कार्यप्रणाली का खुलासा आवेदक को किया गया था और उनके पोस्ट डिस्क्लोजर टिप्पणियां दायर करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया गया था।

73. चूंकि नप का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली में लागत से संबंधित मुद्दे शामिल थे, इसलिए **09.12.2020** को प्रधान सलाहकार (लागत) के समक्ष एक पोस्ट प्रकटीकरण मौखिक सुनवाई आयोजित की गई थी। इसके बाद, **18-01.2021** को नामित प्राधिकरण के समक्ष एक अन्य पोस्ट प्रकटीकरण मौखिक सुनवाई की गई जिसमें आवेदक द्वारा कुछ अतिरिक्त जानकारी/डेटा प्रदान किया गया था। इस प्रकार प्रस्तुत अतिरिक्त जानकारी की पुनर्परीक्षा के बाद गणनाओं पर तदनुसार पुन: गौर किया गया । गैर-हानिकारक मूल्य (नप) को इस निदेशालय के नियमों और प्रथाओं के अनुसार उचित रूप से पुनर्गणना और संशोधित किया गया था ।

74. उतरा मूल्य के निर्धारण के मुद्दे का संबंध है, भारत में विषय वस्तुओं के उतारे गए मूल्य से संबंधित गणना और आंकड़ों पर फिर से गौर किया गया और प्राधिकरण नोट करता है कि इसमें कोई विसंगति नहीं पाई गई । प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि उतरा मूल्य फेंक दिया लेनदेन के आधार पर मूल्यांकन किया गया था और हानिकारक लेनदेन नहीं के रूप में निदेशालय की लगातार प्रथा रही है ।

झ. <u>क्षति और कारणात्मक संपर्क संबंधी निष्कर्ष</u>

75. उपर्युक्त के मद्देनजर यह नोट किया गया है कि :

क) संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों में जांच की पूरी अवधि में पूर्ण दृष्टि से वृद्धि हुई है।

ख) संबद्ध सामानों के आयातों में भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।

ग) भारत में आ रहे कम कीमत के पाटित आयातों के कारण कीमत न्यूनीकरण एवं ह्रास है।

घ) घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा पूर्व वर्ष की तुलना में से जांच की अवधि में कम हुआ है, यहां तक कि यद्यपि संबद्ध सामानों के लिए मांग उसी अवधि के दौरान बढ़ी है। यह विचाराधीन उत्पाद की कुल मांग में आयातों के प्रतिशतता हिस्से में वृद्धि के कारण है ।

ङ) घरेलू उद्योग का लाभ और नियोजित पूंजी पर आय जांच की अवधि के दौरान पूर्ण दृष्टि से संबद्ध सामानों के आयातों में वृद्धि के कारण पूर्व वर्श की तुलना में जांच की अवधि में नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है।

च) जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से कीमत कटौती सकारात्मक है।

ञ **<u>निष्कर्ष और सिफारिशें</u>**

76. किए गए अनुरोधों की जांच करने और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद यह नोट किया जाता है किः

क) संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों में पूर्ण दृष्टि से तथा पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में भी काफी वृद्धि है।

ख) विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश से भारत को सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात किया गया है।

ग) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

घ) वास्तविक क्षति संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों से हुई है।

77. यह नोट किया जाता है कि जांच की शुरूआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू करने और अनंतिम शुल्क लगाए जाने पर यह महसूस किया जाता है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना अपेक्षित है। अतः संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर विचार किया जाना अपेक्षित है । इसके द्वारा प्राधिकरण अधिसूचना संख्या 6/32/2019-डीजीटीआर दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और अधिसूचना संख्या 13/2020-सीमा शुल्क (ऐड) नई दिल्ली, दिनांक 9 जून, 2020 के माध्यम से अपने अनंतिम निष्कर्षों की पुष्टि करता है।

78. नियमावली के नियम 4(ख) और 17 (1) (ख) में निहित प्रावधान के अनुसार, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त की जा सके । चूंकि विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतें जांच की अवधि में भिन्न-भिन्न हैं और सामान्य रूप से गिरावट की प्रवृत्ति दर्शा रही हैं जोकि अप्रैल, 2018 में 313 रू./के.जी. से लेकर जून, 2019 में 291 रू./के.जी. तक है, इसलिए प्राधिकरण केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 9 जून, 2020 को अधिसूचना संख्या 13/2020-सीमा शुल्क (ऐड) नई दिल्ली के माध्यम से लगाए गए अनंतिम एंटी डंपिंग शुल्क की अंतिम तिथि से विषय देश से उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विषय वस्तुओं के आयात पर संदर्भ/बेंचमार्क मूल्य के आधार पर पांच वर्ष की

अवधि के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करना उचित मानता है ।। संदर्भ कीमत का परिकलन 'पहुच मूल्य' +[(1) पाटन मार्जिन और (2) क्षति मार्जिन] से कम के रूप में किया जाता है । **पाटनरोधी शुल्क नीचे तालिका के कॉलम 7 में इंगित संदर्भ कीमत और पहुंच मूल्य के अंतर के बराबर होगा।** इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार और सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्कों के लागू स्तर पर मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा ।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	एचएस कोड	समान का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	संदर्भ कीमत	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2933	1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	कोई	4.89	कि.ग्रा.	यू एस डॉलर
2.	2933	1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. के अलावा, कोई	कोई	4.89	कि.ग्रा.	यू एस डॉलर
3.	2933	1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन	चीन जन. गण. के अलावा, कोई	चीन जन. गण.	कोई	4.89	कि.ग्रा.	यू एस डॉलर

ट. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

79. इन जांच परिणामों से उत्पन्न केंद्र सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 28th January, 2021

CASE No. (OI) 24/2019

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of "1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolone" originating in or exported from China PR.

F. No. 6/32/2019-DGTR.—1. Having regard to the Custom Tariff Act, 1975 as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, THEREOF:

A. BACKGROUND OF THE CASE

2. M/s Prima Chemicals (hereinafter also referred to as "Applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules") for Original Investigation of Anti-dumping Duty concerning imports of "1-Phenyl-3- Methyl-5-Pyrazolone" (hereinafter also referred to as "subject goods" or "product under consideration" or "PUC" or "Pyrazolone"), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the "subject country").

3. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/32/2019 - DGTR dated 23rd December, 2019, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the Domestic Industry.

B. PROCEDURE

4. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:

a) The Authority notified the Embassy of the Subject Country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.

b) The Authority issued a public notice dated 23rd December 2019 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.

c) The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the Applicant and requested them to make their views known, in writing, within the prescribed time limit.

d) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.

e) The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.

f) The Authority sent Exporter's questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

i. M/s Goldlink Industries Co. Ltd.

ii. M/s Jiangsu Changyu Chemical Co. Ltd.

iii. M/s Qingdao Bangli Fine Chemical Co. Ltd.

iv. M/s Qingdao Double-Peach Specialty Chemicals (Group) Co. Ltd.

v. M/s Wenzhou Meiernuo Chemical Co. Ltd.

vi. M/s Jinan Xiangrui Chemical Co. Ltd.

vii. M/s Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd.

viii. M/s Shouguang Nuomeng Chemical Co. Ltd.

g) The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

i. M/s Apex Dyes & Intermediates, Ahmedabad

ii. M/s Associated Drug Co., Bangalore

iii. M/s Pidlite Industries Ltd., Mumbai

iv. M/s Asiatic Colours Chem. Ind. Ltd., Ahmedabad

v. M/s Ankur Dyestuff Industries, Ahmedabad

vi. M/s Jansons International, Mumbai

vii. M/s K. Rasiklal & Co., Mumbai .

viii. M/s Nilkantha Chemicals, Surat

h) None of the producers/exporters/importers/consumers of the subject goods originating in or exporter from China PR have filed their questionnaire responses or other comments.

i) The Authority, upon request, granted extension, to file Exporter Questionnaire Response (EQR) by 19.02.2020, which was placed in the public domain through DGTR's website.

j) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented/submissions made, in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

k) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.

l) The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the Domestic Industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

m) Preliminary findings were issued in this case vide Preliminary Findings Notification no. 6/32/2019-DGTR dated 13th April, 2020 and the same was gazetted vide NOTIFICATION No. 13/2020-CUSTOMS (ADD) New Delhi, dated 9th June, 2020.

n) The Period of Investigation for the purpose of the present anti-dumping investigation is from 1st April, 2018 to 30th June, 2019 (15 Months). The injury investigation period has, however, been considered as the period from April 2015 - March 2016, April 2016 - March 2017, April 2017 - March 2018, and the POI.

o) Vide its OM dated 21.12.2020 , Department of Revenue extended the time period for completing the investigation by 3 months beyond 22.12.2020 (the last date for completing the investigation).

p) The Authority carried out table verification of the data submitted by the domestic industry to the extent considered necessary and feasible, particularly in view of the ongoing pandemic.

q) In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held via Video Conferencing on 13.11.2020 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of the domestic industry only. Domestic Industry was asked to file their written submissions and the same were filed on 14.11.2020. The written submissions received have been considered in this final findings to the extent they are relevant and supported by evidence.

r) In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 2nd December 2020 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in this Final Findings.

s) The applicant filed a special civil application number 15866 of 2020 before Honorable High Court of Gujarat, wherein the Honorable Court directed the applicant to attend the oral hearing fixed by the Authority on 09.12.2020. The applicant attended the same and made their submissions thereafter on 14.12.2020.

t) Further, post disclosure oral hearing was requested by domestic industry before the Designated Authority and the same was conducted on 18 th January, 2021.

u) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation including the post disclosure comments and also the comments on post disclosure oral hearing, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered and addressed by the Authority, in this Final Findings.

v) *** in this final findings represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

w) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US$ = Rs. 70.73.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

"a) The product under consideration in the present investigation is 1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolone and has also been referred as Pyrazolone.

b) The subject goods are used as a dye intermediate. It is also used in.

pharmaceuticals for production of Analgin.

c) The subject goods are classifiable under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 2933. However, the custom classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation."

Submissions made by the Domestic Industry

6. The submissions made by the Domestic Industry with regard to product under consideration and like article are as follows:

a) The product under consideration in the present application is "1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolone", also commonly referred to as "Pyrazolone". Pyrazolone is used as a dye intermediate. It is also used in the Pharmaceutical industry for production of Analgin.

b) For the production of Pyrazolone, aniline is diazotised with hydrochloric acid and sodium nitrite at low temperature. It is thereafter reduced to phenyl hydrazine with bisulphite and sulphite mix. It is hydrolysed with sulphuric acid and the resulting phenyl hydrazine sulphate is filtered and centrifuged. Phenyl hydrazine is dissolved in water and condensed with Aceto Acetic Methyl Ester. Pyrazolone is filtered, dried and pulverized. Pyrazolone is manufactured as technical grade with 99.5% purity. Chemical Formula of Pyrazolone is C10H10N2O.

c) The product under consideration is imported under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under customs sub-heading 2933. The customs classification is indicative only and not binding on scope of the product under consideration.

d) There is no difference in product produced by the Applicant and exported from the subject country.

Submissions made by Other Interested Parties

7. No submissions have been made by any other interested party with regard to product under consideration.

Examination by the Authority

8. The submissions made by the Domestic Industry with regard to the PUC related issues are examined and addressed hereunder.

9. The product under consideration (PUC) in the present investigation is 1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolone, a chemical that is used as a dye intermediate and in the pharmaceutical industry for the production of Analgin.

10. Product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Even though there are different manufacturing process/technologies involved for production of the subject goods, the end product has comparable specifications and is used interchangeably. It is further noted that the imported and the domestically sold products are technically and commercially substitutable, and the consumers are using the two interchangeably.

11. PUC is classifiable under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 2933. However, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation."

12. The Authority confirms that the product under consideration produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject country, as held in preliminary Findings.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

Submissions made by the Domestic Industry

13. The submissions made by the Domestic Industry during the course of the investigation with regard to scope of Domestic Industry & standing are as follows:

a) The Applicant, M/s. Prima Chemicals., is a producer of the subject goods in India. There is one another producer of the subject goods, i.e. M/s Nutan Chemicals. M/s Nutan Chemicals is also supporting this application.

b) Other Indian producers such as M/s Vani Chemicals and M/s Unichem, have now been shut for approximately 8-10 years and 5 years respectively.

c) The Applicant has not imported the product under consideration from China PR, and is also not related to any importer in India or any exporter from the subject country.

d) The Applicant along with supporter, holds a major proportion of total Indian production of the PUC. The Applicant's share in total Indian production of PUC is approximately 80% during the POI. Applicant along with supporter accounts for 100% of the total Indian production of PUC. Accordingly, the Applicant clearly satisfies the requirement of standing and thus constitutes 'Domestic Industry' in India for the product concerned in terms of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Rules.

Submission of other interested parties

14. No submissions have been made by other interested parties with regard to scope of domestic industry and its standing.

Examination by the Authority

15. Rule 2(b) of the Rules provides as follows:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

16. It is noted that the application has been filed by M/s. Prima Chemicals. The Applicant has informed that currently there is only one other producer of the product under consideration in

India, which is also supporting this application. The other producers of the product under consideration in India, that is, M/s Vani Chemicals ltd. and M/s Unichem ltd., have now been shut down and are no longer in production.

17. The production of the Applicant alone in the POI is about 80% of the total Indian production and constitutes a major proportion. It is noted that the Applicant has not imported the product under consideration and is not related to any importer in India or any exporter from the subject country.

18. Accordingly, the Authority confirms that the Applicant satisfies the standing requirement and constitutes the Domestic Industry in terms of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules, as held in Preliminary Findings.

E. MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

Submissions by the Domestic Industry

19. The following submissions have been made by the Domestic Industry:

a) China should be treated as a non-market economy and normal value in case of the subject countries should be determined in accordance with para-7 and 8 of Annexure I of the Rules. In terms of Para 8 in Annexure 1 to the Rules, it is presumed that the producers of the subject goods in China are operating under non-market economy conditions. Therefore, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

b) In view of the above, normal value has been determined for the subject country on the basis of cost of production in India, based on the cost of the domestic industry duly adjusted with selling, general and administrative expenses. This methodology has been considered by the Designated Authority in the earlier investigations against China PR.

c) Export price from subject country has been determined considering volume and value of imports for the proposed period of investigation as per transaction wise data collected from the DGCI&S. Adjustments have been made for freight, insurance, port expenses, and bank charges.

d) Considering the normal value and export price as discussed above, the dumping margin has been determined, details of which can be seen from the petition on record. The dumping margins from the subject country are above de minimis levels and significant.

Submissions by the other interested parties

20. No interested parties have responded, and no submissions have been made with regard to Market Economy Claims, Normal Value, Export Price and Dumping Margin.

Examination by the Authority

Market Economy Status

21. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese

prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

22. Authority notes that while, the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the India's Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.

It is noted that since neither of the responding producer and the exporter from China PR have submitted supplementary questionnaire response, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.

23. Accordingly, the normal value and export price for all the producers/exporters from the subject country have been determined as below.

Normal Value

24. At the stage of initiation, the Authority, after evaluating the options under Para 7 to Annexure I of the Rules, had prima facie concluded that options other than Constructed Normal Value are not feasible for the determination of Normal Value in this case since entire imports are from China. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of whether their data/information could be adopted for the purpose of normal value determination. The Authority sent copies of market economy treatment/supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for providing relevant information in this regard. But none of the producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses. In view of this position and in absence of rebuttal of non-market economy presumption, it may be considered appropriate to proceed with Para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of Normal Value for China PR. The Authority has computed Normal Value on the basis of CNV method by taking into account the cost of production in India based on the cost of the domestic industry duly adjusted with selling, general and administrative expenses with reasonable profit, as held in Preliminary Findings.

Export Price

25. As held in Preliminary Findings, the Authority notes that none of the exporters/producers of subject goods from the subject country have responded to the Authority. In the absence of exporter's questionnaire response from the producers/exporters from the subject country the export price has been determined in respect of the subject county on the basis of best available information in terms of Rule 6(8) of the Rules. Adjustments have been made for freight, insurance, port expenses, and bank charges.

Dumping Margin

26. Considering the normal value constructed as provided above, and export price as determined, the dumping margin determined for the subject country is as follows:

Dumping margin	Rs./Kg	USD/KG
Constructed Normal value	***	***
Net Export Price	***	***
Dumping Margin	***	***
Dumping Margin %	***	***
Dumping Margin % Range	10-20%	

F. METHODOLOGY AND DETERMINATION OF INJURY, LIKELIHOOD OF INJURY AND CAUSAL LINK

Submissions made by the Domestic Industry

27. The submissions made by Domestic Industry are as follows:

a. Demand for the subject goods increased significantly over the injury period. Whereas market share of the domestic industry is declining, that of imports is increasing in relation to demand.

b. Imports from the subject country have seen a significant increase in POI, post cessation of duty. Increase in imports is absolute and material. Market share of imports in relation to production of the subject goods, has increased over the injury period.

c. Subject imports are undercutting the domestic industry and that too is significantly positive.

d. Comparison of cost of production and selling price shows that cost of production has seen a steady increase over the injury period. While the increase in selling price was commensurate till 2017-18, however in the POI the selling price is below cost. The landed price is below selling price and cost of production. Hence, there is Price suppression/depression on account of imports.

e. Considering the increasing demand, the capacity of the domestic industry has increased over the injury period. Accordingly, production and domestic sales increased. However, in comparison to the increase in capacity and demand, domestic industry was not able to increase its capacity utilization.

f. Post cessation of AD duty, market share held by the domestic industry has consistently declined over the injury period and that of subject imports has increased significantly. The market share in demand of subject imports had declined in base year and immediately after, due to imposition of duty. Since cessation, subject imports have re-captured the market share.

g. The profit earned by the domestic industry increased upto 2017-18, but declined severely resulting in the financial losses suffered by domestic industry in the POI. There has also been an adverse impact on return on investment as well.

h. Inventories with the domestic industry has increased.

i. Number of employees, considering increase in capacity also increased. However, wages in POI have declined.

j. Performance of the domestic industry declined after cessation of anti dumping duty. Cessation of AD duty has also resulted in increase of significant volume of Chinese imports, displaying the nature of Chinese exporters of dumping and the threat under which the domestic industry is. Considering positive growth post-imposition of duty, and negative growth post cessation of duty, besides suffering injury, domestic industry is also under threat.

k. As per determined normal value and export price, calculated dumping margin is substantial.

l. If imports from the subject country further increase, the Domestic Industry would be forced to reduce the prices of the product concerned significantly.

m. There exists a causal relationship between dumped imports of the subject goods from China. The imports are undercutting and underselling the domestic price in the POI and volume of imports has also increased significantly.

n. Injury, both material and threat, to the Domestic Industry has been caused only by the dumped imports, thus establishing the causal link. The Applicant has no objection to the Authority choosing to segregate the imports made by the Applicant while assessing the injury.

Submission by other interested parties

28. Since none of the interested parties have responded, no submissions in this regard have been received.

Examination by the Authority

29. The submissions made by the Domestic Industry with regard to the injury assessment and causal link has been examined in light of various parameters in accordance with the Rules, as under:

30. Rule 11 of Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the Domestic Industry, "…. *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles*….". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

(a) Assessment of Demand/Apparent Consumption

31. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources has been taken into consideration. The demand so assessed has increased consistently during the injury investigation period and the POI.

Demand	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	POI (A)
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	124	143	114
Sales of Other Indian Industry	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	95	98	78
Subject country-Imports	MT	216	178	262	1,102	881
Trend	Indexed	100	72	121	510	407
Other Countries-Imports	MT	-	-	-	-	-
Trend	Indexed	-	-	-	-	-
Total demand/consumption	MT	1,536	1,535	1,796	2,825	2258
Trend	Indexed	100	100	117	184	147

32. As can be seen from the above table, the dumped imports from subject country have significantly increased during the POI as compared to previous year. The Applicant has not been able to increase the sales of product concerned commensurate with the increase in demand because of the significant volume of imports coming from the subject country during POI. It can be seen from the above that the increase in demand of the PUC is more than the domestic sales of the Applicant from 2015-16 to POI. Moreover, import quantity of the PUC from the subject country has increased from 216 MT in base year to 881 MT in POI (A). Most of the increase in demand has been captured by the imports from subject country in POI.

(b) Import Volumes from the subject country

33. With regard to the volume of the imports, it may be noted that there has been a significant increase in imports from the subject country, both in absolute terms and relative terms to production or consumption in India.

Country	2015-16	2016-17	2017-18	POI	POI (A)
China PR	216	178	262	1,102	881
% of total imports	100%	100%	100%	100%	100%

34. It is noted from above table that imports of the subject goods from the subject country have increased in absolute terms from 216 MT in 2015-16 to 881 MT in POI (A).

(c) Subject Country Imports in relative terms

35. It is noted that the imports of PUC from the subject country, in relation to production and demand, have increased in the POI as compared to the base year and the year preceding the POI.

Subject Country imports in relation to	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	86	90	376
Demand	%	14%	12%	14%	39%

(d) Market Share in demand

36. It may be noted that the market share of the domestic industry has declined in the POI as compared to previous year. The Applicant has lost market share in POI despite increase in demand of the product under consideration.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Market Share in Demand					
Domestic Industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	107	78
Other producer	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	82	53
Subject country-Imports	%	14.17	12.44	14.49	39.33
Other Country-Imports	%	0	0	0	0
Total	%	100	100	100	100

Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

37. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the Domestic Industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the Domestic Industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject country.

(a) Price Undercutting

38. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the Domestic Industry has been compared with the landed value of imports from the subject country. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country works out as follows:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Landed value	Rs. /Kg	283	265	334	343
Trend	Indexed	100	94	118	121
Selling price	Rs. /Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	119	120
Price undercutting	Rs. /Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	345	155	100
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	0-10	10-20	0-10	0-10

39. From the aforesaid table, it can be observed that the imports from the subject country are coming at prices below the domestic selling price of the Applicant. Thus, price undercutting during the period of investigation is positive for the subject country.

(b) Price Suppression and Depression

40. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, are compared as below:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Cost of sales	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	116	127
Selling price	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	120	121
Landed Value	Rs. /Kg	283	265	334	343
Trend	Indexed	100	94	118	121

41. From the above table, it may be observed, as held in Preliminary Findings also, that the imports from the subject country were coming at prices lower than the cost of sales of the Domestic Industry. This has forced Domestic Industry to reduce its prices during POI and has led to a situation wherein the Domestic Industry has been forced to sell below its cost of sales during POI. It may be observed that the cost of sales have increased by 31 Rs/KG in POI as compared to previous year, whereas the selling price of domestic industry has increased by just 3 Rs./kg in POI as compared to previous year. The increase in cost of sales is more than the increase in selling price of subject goods in POI as compared to previous year, thereby resulting in Price suppression.

Economic Parameters of the Domestic Industry

42. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

43. The injury parameters has been examined objectively taking into account various facts and submissions made.

(a) Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization

44. Capacity, production, sales and capacity utilization of the Domestic Industry over the injury period is given in the following table: -

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	POI (A)
Capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	133	144	180	144
Production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	136	138	110
Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	78	94	77	77
Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	124	143	114

45. The production, domestic sales and capacity utilisation of the Applicant have declined in POI (A) as compared to previous year. The same appears to be due to the significant volume of dumped imports coming from the subject country, as held in Preliminary Findings also.

(b) Profitability, return on investment and cash profits

46. Profitability, return on investment and cash profits of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below: -

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	POI (A)
Cost of sales	Rs./Kg	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	116	127	127
Selling price	Rs./Kg	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	120	121	121
Profit/(Loss) per unit	Rs./Kg	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	150	400	-300	-300
Total Profit/ (Loss)	Rs/Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	180	533	-472	-378
Cash Profit	Rs/Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	156	384	-140	-112
Profit before Interest and Tax	Rs/Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	247	26	20
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***	***
Trend	% Indexed	100	75	111	12	9

47. From the above table, Authority notes that:

a) In spite of continuous increase in demand of PUC, the Domestic Industry suffered losses in POI due to following reasons:

i Though the cost in POI, as compared to base year, has increased by 27 points, the Domestic Industry could raise sale price by only 21 points in same period due to dumped prices of imports.

ii The sales volume has declined in POI (A) by 10 points in comparison to 2017-18 whereas demand has increased by 30 points in the same period due to dumped imports.

b) Similarly, the cash profits of the Domestic Industry have reduced substantially from 384 indexed points in 2017-18 to (-) 112 indexed points during the POI (A).

c) Return on capital employed during POI has also reduced significantly to 9 indexed points in POI (A) from 111 indexed points in 2017-18.

(c) Employment, productivity and wages

48. Employment, productivity and wages of Domestic Industry over the injury period is given in the table below.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
No of Employees	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	129	129
Wages	Rs/Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	118	127
Wages per Unit	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100

49. Authority notes that the employment of the Domestic Industry has increased throughout the injury investigation period and during the POI, considering the increase in capacity.

(d) Inventories

50. Inventory position with the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	304	496

51. Authority notes that the inventories with the Domestic Industry have increased to 496 indexed points during POI as compared to 100 indexed points in 2015-16. Due to increasing imports, the market share of the Domestic Industry has come down in POI as compared to previous year and the increased demand has been significantly captured by dumped imports. As a result, the Domestic Industry is having significant accumulated inventories.

(e) Growth

52. Authority notes that growth of the Domestic Industry with regard to market share in demand, and capacity utilisation, have declined in the POI as compared to previous year.

(g) Factors affecting domestic prices

53. The examination of the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the Domestic Industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of imported material from the subject country is below the selling price and the cost of production of the Domestic Industry, causing significant price undercutting as well as price suppression in the Indian market. It is also noted that the demand for the subject goods was showing significant increase during the injury period including the POI and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, the Authority notes that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from the subject country, as held in Preliminary Findings also.

Magnitude of Injury and Injury Margin

54. As held in Preliminary Findings also, the Authority has determined Non-Injurious Price for the Domestic Industry on the basis of principles laid down in Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the desk study information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the Domestic Industry has been worked out and it has been compared with the landed price from the subject country for calculating injury margin.

Country	NIP	Landed value	Injury Margin	Injury Margin	Trend
	(USD/Kg)	(USD/Kg)	(USD/Kg)	(%)	(Range)
China PR	***	4.85	***	***	0-10

G. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

55. As per the Rules, it is, *inter alia*, required to be examined that any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the Domestic Industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the Domestic Industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

Volume and price of imports from third countries

56. The imports from countries other than the subject country are non-existent and hence, are not causing or threaten to cause injury to the Domestic Industry.

Export Performance

57. The data for domestic operations only has been considered for the injury analysis.

Development of Technology

58. None of the interested parties have participated and furnished any evidence to demonstrate significant changes in the technology that could have caused injury to the Domestic Industry.

Performance of other products of the company

59. It is noted that the performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry does not appear to be a possible cause of injury to the Domestic Industry.

Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic producers

60. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested party due to non-participation, to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

Contraction in Demand and Changes in pattern of consumption

61. It is noted that the demand of the subject goods has increased consistently over the entire injury period. Thus, The Authority considers that the injury to the Domestic Industry was not due to contraction in demand, as held in Preliminary Findings also.

H. Post Disclosure Comments

62. The NIP determined is unduly low.

63. The amounts determined on account of manufacturing expenses, other income and return requires reconsideration.

64. Domestic industry's income pertaining to exports should not be considered for determining NIP.

65. It is not appropriate to apportion manufacturing expenses and return on investment on the basis of production value, considering that the company has produced and sold different products with significantly different production cycles. The domestic industry has provided further information with regard to allocation and apportionment of expenses to justify the cost of production claimed, and requested the Authority to consider the same.

I. Comments on Post disclosure oral hearing

66. The domestic industry adopted the production quantity as the basis of apportionment of manufacturing expenses only for the reason that the authority had adopted this basis in the previous investigations.

67. Production value in any case is not an appropriate basis for apportionment of manufacturing expenses for the reason that the production cycle time of different products differs significantly.

68. DI submitted that the Authority may kindly consider production cycle time as the appropriate basis for apportioning manufacturing expense.

69. Significant income of domestic industry pertains to exports and since this is export income, the same should not be considered for determining NIP, as NIP should be for domestic production only. The domestic industry has inadvertently reported it's entire income as "other income".

70. There is significant decline in the import price and this decline in import price is more than the decline in cost. The dumping and injury has intensified during the POI. DI requested the Authority to kindly determine month wise NIP and injury margin.

71. Domestic Industry also submitted that the data and calculations relating to the landed value needed to be reconciled.

J. Examination by the Authority

72. The Authority issued the disclosure statement on 02.12.2020. The Petitioner in their comments on the Disclosure Statement has primarily focused upon the shift in methodology adopted by the Authority while calculating the Non-Injurious Price (NIP) from the stage of Initiation and Preliminary Findings to the one adopted in the Disclosure Statement. Also, a special civil application was filed by the petitioner before the Honorable High Court of Gujarat wherein issues pertaining to non-disclosure of complete methodology adopted for determining the Non-Injurious price (NIP) and paucity of time for filing the comments on disclosure statement were raised. In view of same, the complete methodology adopted for determining the Non-Injurious price was disclosed to the applicant and the additional time was granted to file their post disclosure comments.

73. Since the methodology adopted for determining the NIP involved issues relating to Costing, a post disclosure oral hearing was conducted before Principal Advisor (Cost) on 09.12.2020. Thereafter, another post disclosure oral hearing was conducted before the Designated Authority on 18.01.2021 wherein certain additional information/data was provided by the applicant. The computations were revisited accordingly after reexamining the additional information so submitted. The Non-Injurious price (NIP) was appropriately recalculated and modified in accordance with the rules and practices of this directorate.

74. As regards the issue of determination of landed value, the calculations and data pertaining to the landed value of the subject goods in India was revisited and the Authority notes that no discrepancy was found in the same. Authority also notes that the landed value was evaluated on the basis of dumped transactions and not injurious transactions as has been the consistent practice of the Directorate.

K. CONCLUSION ON INJURY & CAUSAL LINK

75. In view of above, it has been noted that:

a) Imports of the subject goods from the subject country have increased in absolute terms over the entire period of investigation.

b) Imports of the subject goods have increased in relation to its production and consumption in India.

c) There is price suppression due to low priced dumped imports coming in to India.

d) Market share of the Domestic Industry has decreased in POI as compared to previous year even though demand for the subject goods has risen during the same period. This is due to the increase in percentage share of imports in total demand of PUC.

e) The Domestic Industry's profits and return on capital employed has been negatively affected in POI as compared to previous year due to increase in imports of the subject goods from the subject country in absolute terms during the POI.

f) The price undercutting from the subject country during the POI is positive.

L. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

76. After examining the submissions made and considering the facts available on record, it is noted that:

a) There is substantial increase in imports of subject goods from the subject country in absolute terms as well as in relation to its production & consumption in India, during the POI as compared to the previous year.

b) The product under consideration has been exported to India from the subject country below the normal value.

c) The Domestic Industry has suffered material injury.

d) Material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject country.

77. It is noted that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the Domestic Industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules and imposition of provisional duties, it is felt that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, imposition of definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country is required to be considered. The Authority hereby confirms its Provisional Findings vide Notification no. 6/32/2019-DGTR dated 13th April, 2020 and the same gazetted vide NOTIFICATION No. 13/2020-CUSTOMS (ADD) New Delhi, dated 9th June, 2020.

78. In terms of provisions contained in Rule 4(d) and 17(1)(b) of the Rules, the Authority recommends anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Since the import prices of Product under Consideration are varying in POI and showing declining trend in general, that is, from 313 Rs/Kg in April, 2018 to 291 Rs/Kg in June, 2019, the Authority, therefore, considers it appropriate to recommend imposition of anti-dumping duty for a period of **five years** on the basis of Reference/Benchmark Price on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, from the last date of provisional anti-dumping duty levied by the Central Government vide NOTIFICATION No. 13/2020-CUSTOMS (ADD) New Delhi, dated 9th June, 2020. Reference Price is computed as "Landed Value+ Lower of [(1)Dumping Margin and(2) Injury Margin]". **The anti-dumping duty shall be equal to the difference between the Reference Price indicated in column 7 of the table below and the landed value.** The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

DUTY TABLE

S.No.	HS Code	Description of goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Reference Price	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2933	1-phenyl-3-methyl -5-pyrazolone	China PR	China PR	Any	4.89	Kg	USD
2.	2933	1-phenyl-3-methyl -5-pyrazolone	China PR	Any, other than China PR	Any	4.89	Kg	USD
3.	2933	1-phenyl-3-methyl -5-pyrazolone	Any, other than China PR	China PR	Any	4.89	Kg	USD

M. FURTHER PROCEDURE

79. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2021.01.28 22:39:23 +05'30'